न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी –भारती भारद्वाज आर0 ए0 एस0

प्रकरण संख्या– 26/2021 जीसीएमएस नं0 2021/107

छविराम पुत्र पतौला जाति धोबी निवासी ग्राम जसूपुरा तहसील मनियां जिला धौलपुर।

........प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार मनियां धौलपुर जरिए लैण्ड होल्डर .... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एलआरए

उपस्थिति – 1. श्री योगेश कुमार शर्मा ऐडवोकेट प्रार्थी की ओर से
2. पैरोकार सरकार अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 28.02.2022

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एल आर एक्ट इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर 3437/1419 रकवा 0.5058 हैक्टेयर बाकै ग्राम जसूपुरा का प्रार्थी तरमीमशुदा भू–भाग पर अभिलिखित खातेदार काश्तकार है तथा काबिज काश्त है उक्त खसरा नम्बर 3437/1419 की उत्तर दिशा में रास्ता, दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 1419, पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 1419 का भू–भाग तद्उपरान्त खसरा नम्बर 1414, 1415, व 1416 तथा पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 1412 स्थित है। हल्का पटवारी पर उपलब्ध नक्शा बन्दोबस्ती में उक्त खसरा नम्बर 3437/1419 की स्पष्ट तौर पर तरमीम हो रही है तथा खसरा नम्बर 1419 की दक्षिण एवं पूर्व दिशा में तरमीम हो रही है। तथा प्रार्थी उसी अनुसार काबिज काश्त है तथा फसल प्राप्त कर रहा है। राजस्व कर्मचारियों ने कम्प्यूटराईज्ड नक्शा बनाते समय सद्भावी भूलवश अवैध रूप से प्रार्थी की खातेदारी के खसरा नम्बर 3437/1419 के स्थान पर खसरा नम्बर 1419 दर्शित कर दिया है तथा खसरा नम्बर 1419 के स्थान पर प्रार्थी की खातेदारी के खसरा नम्बर 3437/1419 को भूलवश कम्प्यूटराईज्ड नक्शा में बिना किसी आधार के अंकित कर दिया है। उक्त त्रुटि बिना किसी सक्षम आदेश व अधिकार एवं आधार के हुई है जिसको नक्शा ट्रेस के मुताबिक दुरस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 3437/1419 बाकै ग्राम जसूपुरा के कम्प्यूटराईज्ड नक्शे को दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया तथा तहसीलदार मनियां जिला धौलपुर से प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं पर रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार मनियां द्वारा पत्रांक 762 दिनांक 15.12.2021 से प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित किया कि आराजी खसरा नम्बर 3437/1419 जो कि खसरा नम्बर 1419 का एक भाग है, इसी प्रकार खसरा नम्बर 3438/1419 व 3439/1419 भी खसरा नम्बर 1419 का भाग है जिनकी तरमीम नक्शा लठ्ठा में की गई है, परन्तु इसके बाद पुनः खसरा नम्बर 1419, 3437/1419, 3438/1419, 3439/1419 की सेग्रीगेशन नक्शा (सीट) में तरमीम की गई उसमें खसरा नम्बर 1419, 3437/1419 की तरमीम सहवन से गलत हो गई है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड खसरा नम्बर 3437/1419 छविराम पुत्र पतोला जाति धोबी निवासी जसूपुरा के नाम दर्ज है एवं खसरा नम्बर 1419 राजकीय माध्यमिक शाला जसूपुरा गै0मु0 खेल मैदान के नाम दर्ज है अतः मुताबिक नक्शा लट्ठा के आराजी खसरा नम्बर 3437/1419 को शुद्ध किया जाना प्रस्तावित किया ।

उक्त रिपोर्ट के संबंध में पत्रांक 72 दिनांक 20.01.2022 द्वारा तहसीलदार मनियां से नक्शा लट्ठा पर लाल स्याही से दर्शाई तरमीम के आदेश एवं स्कूल हेतु आवंटन आदेश के सम्बन्ध मे रिपोर्ट तलब की गई। इस सम्बन्ध में तहसीलदार मनियां ने पत्रांक 48 दिनांक 02.02.2022 से प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित किया कि नक्शा लट्ठा पर लाल स्याही से दर्शित तरमीम हेतु कोई भी आदेश एवं दिनांक अंकित नहीं है एवं स्कूल हेतु आवंटन श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय धौलपुर के पत्र कमांक/ राजस्व/12/3/90/ 83/3324–30 दिनांक 18.09.1985 एवं तहसीलदार (भू0अ0) धौलपुर के आदेश कमांक/भ0अभि0/25/2973 दिनांक 21.09.1985 द्वारा किया गया है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी सम्वत् 2076–79 बाकै ग्राम जसूपुरा, नक्शा ट्रेस बाकै ग्राम जसूपुरा, एवं वर्तमान ऑनलाईन नक्शे की फोटो प्रतियां पेश की है।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रस्तुत रिपोर्ट एवं नक्शा अक्स तथा सेग्रीकेशन के पश्चात् जारी नक्शा प्रति का अवलोकन किया गया नक्शा अक्स जिसमें पूर्व से तरमीम को लाल स्याही से जिस प्रकार दर्शाया गया है सेग्रीकेशन के पश्चात् जारी नक्शा में तरमीम को पूर्व की स्थिति के अनुसार नही दर्शाया गया है जबकि नक्शा में किसी प्रकार के फेरबदल के आदेश नही हुए है। आवेदक के आवेदन के संबंध में अप्रार्थी तहसीलदार मंनिया के द्वारा कोई आपत्ति नही की है उनके द्वारा अपनी रिपोर्ट में सेग्रीकेशन के समय नक्शा में तरमीम को गलत दर्ज हो जाना बताया गया है। अतः हम प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मुताविक रिपोर्ट तहसीलदार विवादित भूमि की पुनः तरमीम कराया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार मंनिया को ग्राम जसूपुरा की आराजी खसरा नम्बर 3437/1419, 1419, 3438/1419, 3439/1419 की वर्तमान राजस्व नक्शा में मुताविक पूर्व के नक्शा अक्स के अनुसार तरमीम शुद्व किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश पालना हेतु तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज)

मनिया को प्रेषित किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्ब जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 28.02.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(भारती भारद्वाज)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज.)